न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2020 – निगरानी

1. घीसू लाल जाट पुत्र मांगु जाट निवासी ईरास तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

—निगराकार

बनाम

1. जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जरिए प्रबंधक, जिला दुग्ध उत्पादक समिति,भीलवाड़ा
2. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जरिए शाखा प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ईरास तहसील आसींद भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत ईरास जरिए सचिव ग्राम पंचायत ईरास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. ग्राम पंचायत ईरास जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत ईरास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

— गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत ईरास तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 08.06.1986

उपस्थित –

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.09.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आबादी हल्का ईरास तहसील आसींद में निगराकार के पुश्तैनी हक, अधिकार एवं आधिपत्य की एक जायदाद स्थित है। उक्त जायदाद के समीप गैर निगराकार 3 व 4 ने गैर निगराकार सं 1 व 2 से मिलीभगत कर दिनांक 09.06.1986 को एक अवैध बापी पट्टा संख्या 65 (नपती 30बाई 50 फिट कुल 1500 वर्गफीट)जारी करवाया जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। गैर निगराकार 2 के पक्ष में अवैध पट्टे के पूर्व एवं उत्तर दिशा में निगराकार की पुश्तैनी आवासीय जायदाद स्थित है। गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे में उत्तर एवं दक्षिण भुजा की लम्बाई 30 फिट का अंकन तथाकथित पट्टे में

25.9.25

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है। उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित 30 फिट भूमि पर गैर निगराकार संख्या 2 ने फर्जी एवं बनावटी पट्टे के आधार पर निर्माण कर लिया है। उत्तर दिशा में निगराकार के भूखण्ड का निकास का रास्ता है जो वर्तमान में 16 फिट चौड़ा है और निगराकार के बैलगाड़ी, ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण इसी रास्ते से अपनी जायदाद में प्रवेश करते है, जिस पर गैर निगराकार संख्या 2 ने आज से करीब 10 दिन पूर्व अवैध निर्माण कर निगराकार का रास्ता बंद करने की नियत से मौके पर आकर अवैध निर्माण करने एवं रास्ते को बंद करने की धमकियां दी जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैर निगराकार संख्या 3 व 4 ने पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 148 से 158 की पालना नहीं की है एवं राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के नियम 159 के अनुसार गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी बापी पट्टे की भूमि को बाजार कीमत से 50 प्रतिशत राशि का नजराना प्राप्त करने के पश्चात् ही बापी पट्टा जारी किया जाना न्यायोचित है, लेकिन ग्राम पंचायत ने नियमों की अवेहलना करते हुए गैर निगराकार संख्या 2 जो सहकारी संस्था है, के पक्ष में निःशुल्क बापी पट्टा जारी किया गया है, जो अवैध है। गैर निगराकार सं. 02 अपने पक्ष में अवैध रूप से जारी बापी पट्टे के आधार पर निगराकार के रास्ते की भूमि जो गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टे में उत्तर दिशा के पड़ौस में स्थित रास्ते को अवैध निर्माण कर अवरूद्ध करने एवं रास्ते की भूमि पर स्थाई निर्माण कर निगराकार को उसके हक, अधिकार से महरूम करने की गरज से निर्माण करने पर आमादा है जबकि गैर निगराकार सं. 02 ने नियम विरूद्ध उत्तर से दक्षिण दिशा के मध्य फर्जी पट्टे के अनुसार 30 फिट भूमि पर पूर्व में ही निर्माण कर लिया है एवं उत्तर दिशा में गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में जारी पट्टे के अनुसार कोई भूमि शेष नहीं रहती है, इस कारण भी तथाकथित पट्टा फर्जी एवं बनावटी होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय/ग्राम पंचायत ईरास का आदेश दिनांक 09/06/1986, प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 08/06/1986 को जारी बापी पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। दौराने बहस गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

25.9.25

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आबादी हल्का ईंरास तहसील आसींद में निगराकार के पुश्तैनी हक, अधिकार एवं आधिपत्य की एक जायदाद स्थित है। उक्त जायदाद के समीप गैर निगराकार 3 व 4 ने गैर निगराकार सं 1 व 2 से मिलीभगत कर दिनांक 09.06.1986 को एक अवैध बापी पट्टा संख्या 65 (नपती 30बाई 50 फिट कुल 1500 वर्गफीट)जारी करवाया जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित 30 फिट भूमि पर गैर निगराकार संख्या 2 ने फर्जी एवं बनावटी पट्टे के आधार पर निर्माण कर लिया है। उत्तर दिशा में निगराकार के भूखण्ड का निकास का रास्ता है जो वर्तमान में 16 फिट चौड़ा है और निगराकार के बैलगाड़ी, ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण इसी रास्ते से अपनी जायदाद में प्रवेश करते है। गैर निगराकार संख्या 3 व 4 ने पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 148 से 158 की पालना नहीं की है एवं राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के नियम 159 के अनुसार गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी बापी पट्टे की भूमि को बाजार कीमत से 50 प्रतिशत राशि का नजराना प्राप्त करने के पश्चात् ही बापी पट्टा जारी किया जाना न्यायोचित है, लेकिन ग्राम पंचायत ने नियमों की अवेहलना करते हुए गैर निगराकार संख्या 2 जो सहकारी संस्था है, के पक्ष में निःशुल्क बापी पट्टा जारी किया गया है, जो अवैध है। गैर निगराकार सं. 02 अपने पक्ष में अवैध रूप से जारी बापी पट्टे के आधार पर निगराकार के रास्ते की भूमि जो गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टे में उत्तर दिशा के पड़ौस में स्थित रास्ते को अवैध निर्माण कर अवरूद्ध करने एवं रास्ते की भूमि पर स्थाई निर्माण कर निगराकार को उसके हक, अधिकार से महरूम करने की गरज से निर्माण करने पर आमादा है जबकि गैर निगराकार सं. 02 ने नियम विरूद्ध उत्तर से दक्षिण दिशा के मध्य फर्जी पट्टे के अनुसार 30 फिट भूमि पर पूर्व में ही निर्माण कर लिया है एवं उत्तर दिशा में गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में जारी पट्टे के अनुसार कोई भूमि शेष नहीं रहती है, इस कारण भी तथाकथित पट्टा फर्जी एवं बनावटी होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय/ग्राम पंचायत ईरास का आदेश दिनांक 09/06/1986, प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 08/06/1986 को जारी बापी पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 के जवाब में अंकित किया हुआ है कि गैर

25.9.25

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार संख्या 03 व 04 के नाम दिनांक 09.06.1986 को पट्टा संख्या 65 नपती 30 फिट बाई 50 फिट कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट का जारी करवाया जो पट्टा वैद्य एवं विधि अनुसार है तथा ग्राम पंचायत ईंरास द्वारा पत्रावली. कायम कर विधि अनुसार आम सूचना प्रकाशन कर व गांव के अमुक स्थानो पर नोटिस चस्पा किये और पंचायत नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार वैद्य एवं विधि अनुसार पट्टा जारी किया। इसलिये निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार की जायदाद से विपक्षीगण की पट्टेशुदा जायदाद का को सम्बन्ध व वास्ता नही है। विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टे के अनुसार निर्माण कार्य सन् 1986 में ही करवा दिया था और सन 1986 से ही पट्टेशुदा जायदाद में ग्रामीण डेयरी का संचालन हो रहा है। निगराकार की जायदाद पर आने–जाने के रास्ते में कोई व्यवधान उत्पन्न नही हो रहा है। निगराकार की जायदाद के मुख्य दरवाजे से भी काफी दूर विपक्षी की जायदाद स्थित है और निर्मित है। बैल गाडी क्या आराम से दो ट्रक गुजरे उससे भी ज्यादा जगह पड़ी हुई है। विपक्षीगण द्वारा रास्ते में कोई निर्माण नही कराया हुआ है और रास्ता कतई अवरूद नहीं हुआ है और रास्ता' बरसो से है जैसा चला आ रहा है। पट्टाशुदा भूखण्ड पर निर्धारित सीमा में निर्माण किया जो निर्माण सन् 1986 से चला आ रहा है। सन् 1986 से अब तक करीब 37 वर्ष से निरन्तर डेयरी का संचालन हो रहा है। इसलिये इतने वर्षो बाद निगराकार को निगरानी लाने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। इस कारण से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार को पट्टा निरस्त कराने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। निगराकार के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नही हो रहे है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी तथ्यों एवं विधि विरूद्ध एवं कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। निगराकार ने वर्ष 1986 में जारीशुदा पटटे कों निरस्त कराने बाबत् लगभग 37 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं, क्योंकि गैर निगराकार संख्या 01 के जवाब अनुसार उक्त डेयरी विगत 37 वर्ष से निरंतर संचालित हो रही हैं, जिसके पडौस में निगराकार का भूखण्ड होने से निगराकार को उक्त डेयरी संचालन की पूर्ण जानकारी हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य

25.9.25

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीनहोने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ईरांस तहसील आसीन्द को निर्देशित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 01 व 02 के नाम जारीशुदा पटटे की साईज 30 बाई 50 के अलावा किये गये निर्माण की जांच/परीक्षण करें। यदि उक्त साईज के अतिरिक्त सरकारी भूमि के क्षैत्र पर गैर निगरकार संख्या 01 व 02 का कोई निर्माण कार्य पाया जाता हैं, जिससे आमजन का रास्ता अवरूद्व हो, तो उसको अवैध घोषित किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यावाही की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत ईरांस तहसील आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.9.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)